फर्द अहकाम

न्यायालय _____

_____ बनाम _____

मुकदमा संख्या / वर्ष : _____ / 20____

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लो०13 उप० अप्रार्थी सं. 14 लो०18 व 20 बावजूद रजिस्टर्ड सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 14 लो०18 व 20 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 1 लो०13 का जवाब पूर्व मे पेश हो चुका है। वास्ते बहस तर्क हेतु दिनांक 12/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	12/7/24	पत्रावली पेश हो। वकील आपपक्ष द्वारा बहस तर्क हेतु मय दस्तावेज अगले दिनांक 8/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	8/8/24	पत्रावली पेश है। वकील आपपक्ष द्वारा बहस तर्क पूर्व मे सुनाया जा चुका है। बहस आपपक्ष व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फाइल हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:12:56 IST
Reason: SelfAttested